

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण सख्या:-90/2021

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:-03.03.2021

जीसीएमएस नं. 2021/11

1. गब्बर पुत्र श्री हरिराम उम्र 28 साल जाति जाटव निवासी सिकन्दरपुर तहसील महावीरजी जिला करौली राज0

-----प्रार्थी/सायल

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0
2. जिला कलक्टर जिला करौली

-----अप्रार्थी/गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित -1.श्री राघवेन्द्र जैमनी वकील प्रार्थी/सायल

2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार महावीरजी

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा 47 रकवा 0.28 है0 चाही, 47 करवा 0.28 जाव द्वितीय, 48 रकवा 0.15 है0 चाही-2, 48 रकवा 0.15 है0 जाव द्वितीय, 49 रकवा 0'.16 है0 चाही-2, 49 रकवा 0.16 है0 ताव द्वितीय कुल किता 3 कुल रकवा 0.59 है0 स्थित ग्राम सिकन्दरपुर पटवार हल्का अलीपुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0 में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी/सायल को विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है, लेकिन नामान्तरकरण के समय प्रार्थी सायल नाबालिग था, और बरबक्त नामान्तरकरण प्रार्थी का प्यार का नाम प्रेमसिंह था। जो जमाबन्दी के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था, जबकि प्रार्थी का रिकॉर्ड में नाम जिसमें कक्षा 10वीं अंकतालिका, राशन कार्ड, आधारकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम गब्बर पुत्र हरिराम जाटव अंकित है। प्रार्थी ने कई बार तहसीलदार हिण्डौन से उक्त नाम प्रेमसिंह के स्थान पर गब्बर पुत्र हरिराम करने को कहा तो अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त प्रेमसिंह के स्थान पर गब्बर नाम प्रार्थी का नहीं किया तथा दिनांक 27.11.2020 को अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी के उक्त नाम प्रेमसिंह के स्थान पर गब्बर दुरुस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।

प्रार्थी ने दिनांक 27.11.2020 को सात दिवस का वेधानिक अपील भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड उॉक भिजवा दिया। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का नाम संशोधित नहीं किया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह के स्थान पर गब्बर करने के आदेश प्रदान करें।



प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी कराई गई। अप्रार्थी नं० 1 व 2 पैरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश किया गया। तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा अपने जबाव में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम सिंकन्दरपुर खाता संख्या 10 नाबालिग प्रेमसिंह पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी हिस्सा 1/6 जाति जाटव साकिन देह दर्ज है। यह है कि जमाबंदी सम्बत् 2052-55 में खाता संख्या 16 जरिये नामांतरण संख्या 14 दिनांक 21.09.96 खसरा नं० 47, 48, 49 की खातेदारी दलगंजी पुत्र चतरे हिस्सा 1/2 जितेन्द्र लौकेश प्रेमसिंह पिता हरीराम नाबालिक संरक्षक माता सुफेदी बेवा हरीराम जाति जाटव हिस्सा 1/2 के नाम स्वीकार को नोट अंकित है, यह है कि मुताबिक फर्द मौका मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हरीराम के तीन पुत्र जितेश, गब्बर, लौकेश हैं। इन तीनों पुत्रों के अलावा अन्य कोई पुत्र नहीं है। बचपन में गब्बर को प्रेमसिंह पुकारते थे की पैरोकार सरकार द्वारा अभिशंषा की गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरुस्ती स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी की अभिशंषा, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सम्बत 2072-75 के खाता संख्या 10 की प्रमाणित प्रति, पेनकार्ड की प्रति, परिवार राशन कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की अंकतालिका की प्रति, आधार कार्ड की प्रति पेश किया जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग प्रेमसिंह पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी के स्थान पर नाबालिग गब्बर पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी करने की अभिशंषा की है, जिनका अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जमाबंदी सम्बत 2072-75 में प्रार्थीगण की खातेदारी में खाता संख्या 10 में प्राथी का नाम प्रेमसिंह के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नाबालिग गब्बर पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी जिसे प्रार्थीगण के हक में दुरुस्त किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबंदी सम्बत 2072-75 में प्रार्थी की खातेदारी में खाता संख्या 10 में प्राथी का स्वयं का नाम नाबालिग प्रेमसिंह पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी के स्थान पर नाबालिग गब्बर पुत्र हरीराम संरक्षक माता सुफेदी किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरुस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार श्रीमहावीरजी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुजर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन